

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक -

1 भारूराम 2 मोमताराम
3 रेखाराम 4 तेजाराम 5
नानगाराम पिसरान
रामाराम जाति जाट
निवासी रामसर का
कुआ, बेरीवाला तला
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 जोगाराम 2 दमाराम 3 रूपसिंह पिसरान प्रहलादराम 4 नेनूदवी
पत्नी प्रहलादराम 5 बालाराम पुत्र सुखराम 6 खीयाराम पुत्र
खूमाराम 7 दुर्गाराम 8 गजेन्द्र कुमार 9 मूलाराम पिसरान
पदमाराम 10 मूलाराम 11 बांकाराम पिसरान नारायणराम 12
पनीदेवी पत्नी नारायणराम 13 जोगाराम 14 मानवेन्द्र 15 भूराराम
पिसरान ताजाराम 16 मांगीदेवी पत्नी ताजाराम 17 तेजाराम पुत्र
दौलाराम 18 भंवराराम पुत्र पोकरराम 19 देवी पत्नी पोकरराम
जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 715/2018

दिनांक- 10-10-19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1047/837 रकबा 26.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भारूराम पुत्र रामाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर का कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र प्रहलादराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर